

**उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 246वीं बैठक**  
**दिनांक 10 सितम्बर, 2018 का कार्यवृत्त**

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 245वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :—

1—	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2—	श्री अजय चौहान	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3—	श्री उदय राज सिंह	अपर आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सचिव
4—	श्री धर्मन्द वर्मा	वित्त नियंत्रक, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5—	श्री ए0के0 शुक्ला	मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6—	श्री एस0के0 रायतानी	मुख्य वास्तुविद नियोजक, आ0वि0 परिषद	सदस्य
7—	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
8—	श्री सी.एस.बनौधा	उप निदेशक, प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव सचिव सार्व.उ0वि0	सदस्य
9—	सुश्री यशु रुस्तमी	विशेष सचिव, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
10—	श्री पी0एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	विशेष आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :—

### विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
246 / 1	परिषद की 245वीं बैठक दिनांक 14 मई, 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 245वीं बैठक दिनांक 14.05.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
246 / 2	परिषद की 245वीं बैठक दिनांक 14 मई, 2018 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 245वीं बैठक दिनांक 14.05.2018 की अनुपालन आख्या का मद वार अवलोकन किया गया।

### प्रशासन अनुभाग

246 / 3	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के “नान फील्ड जाव” की अवधि को शिथिल किए जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
246 / 4	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
246 / 5	सम्पत्ति प्रबन्धक के सीधी भर्ती के रिक्त 11 पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती कराये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
246 / 6	वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
246 / 7	वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

## अनुशासनिक अनुभाग

246 / 8	परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं ऐसे कार्मिकों, जिनकी नियुक्ति प्राधिकारी मात्र परिषद है, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय जाँच संस्थित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
246 / 9	परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में निर्माणाधीन शिखर एन्कलेव के निर्माण कार्य अपूर्ण/मानक के अनुरूप न होने तथा लिफट की आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में अन्तर्गत सेवानिवृत्त अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
246 / 10	वसुन्धरा एन्कलेव गाजियाबाद के सेक्टर-8 में निर्माणाधीन 33/11 के ००वीं सब स्टेशन हेतु आवश्यक 10 एम०वी०ए० क्षमता के 02 नग 33/11 के ००वीं पावर ट्रान्सफार्मर्स की आपूर्ति के संबंध में की गई लापरवाही/अनियमितता के दृष्टिगत अधीक्षण अभियंता एवं सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
246 / 11	श्री बनवारी लाल शर्मा, तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

## भूमि अर्जन अनुभाग

246 / 12	परिषद की लखनऊ-गोरखपुर बाईपास मार्ग योजना सं०-१ व २ फैजाबाद के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
246 / 13	जनपद-हरदोई में यू०पी० शुगरकेन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि० की हरदोई स्थित शुगर फैक्ट्री की रिक्त भूमि क्रय करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 में पारित निर्णय को निरस्त किये जाने के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
246 / 14	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-हैवतमऊ मवइया के खसरा संख्या-2613 की भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया। वृन्दावन योजना संख्या-2, अनुपूरक-2 लखनऊ संचालित की गयी है जिसका कुल क्षेत्रफल 10.33 एकड़ है। इस योजना के सम्बन्ध में धारा-28 का प्रकाशन दिनांक 28.9.2002 एवं धारा-32 का प्रकाशन दिनांक 24.7.2004 को कराया गया। प्रश्नगत योजना में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई नियोजन समिति द्वारा दिनांक 10.12.2002 को की गयी। मो० सलीम के खसरा संख्या-367 की ०-१०-१० बीघा भूमि अधिग्रहीत की गयी।

प्रश्नगत भूमि पर मो० सलीम द्वारा धारा-28 से पूर्व 23.40 वर्गमी० भूमि पर एक कमरे का निर्माण है तथा बाउण्ड्रीवाल के रूप में 91.21 वर्गमी० एवं 70.50 मी० लम्बाई में 40 सेटीमीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल लगभग 932.42 वर्गमी० में रिथत है इस प्रकार कुल 1038.03 वर्गमी० पर निर्माण/खुली भूमि के रूप में काश्तकार द्वारा निर्माण किया गया है। श्री सलीम द्वारा उक्त निर्माण को अर्जन मुक्त किये जाने हेतु नियोजन समिति के समक्ष आपत्ति संख्या-3 प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा भूमि देने की सहमति व्यक्त करते हुए भूमि के बदले स्थल के आस-पास भूमि मांगी गयी नियोजन समिति द्वारा भी निर्माण स्वीकार्य किया गया।

श्री सलीम द्वारा रिट याचिका संख्या-41/2002/एल०ए० में मा० उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश दिनांक 24.7.2002 को पारित किये गये।

"In the meantime in case the Petitioner, Khasra Plot no 367 area 10 Biswa and 10-Biswansi situated at village Sakurpur, Pargana-Bijnaur, Tehsil at Kistrict Lucknow has not been acquired under the relevant provisions of the Act or has not been requisitioned, neither the nature of the land shall be changed nor the possession of the petitioner shall be disturbed other than in accordance with law.

उक्त अनुपूरक योजना शारदा कैनाल से उत्तरेहिया रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क मार्ग विकसित किये जाने के उद्देश्य से सृजित की गयी थी। मो० सलीम का निर्माण होने के कारण बाधा थी जिस कारण अन्यत्र 300 वर्गमी० भूमि असुधार शुल्क लेकर व 482 वर्गमी० भूमि विकास शुल्क लेकर कुल 782.34 वर्गमी० भूमि आवंटित की गयी है।

वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ संचालित की गयी है जिसका कुल क्षेत्रफल 967.38 एकड़ है। प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में धारा-28 का प्रथम प्रकाशन दिनांक 04.12.1999 को एवं धारा-32(2) का प्रकाशन दिनांक 03.4.2004 को कराया गया। उक्त योजना के सम्बन्ध में आपत्तियों की सुनवाई नियोजन समिति द्वारा दिनांक 04/05.8.2000 को की गयी। उक्त योजना में श्री नन्हे लाल व नौमी लाल के खसरा संख्या-2613 वी 2-8-16 बीघा भूमि अर्जित की गयी है। धारा-28 से पूर्व

इनका निर्माण नहीं था धारा-28 के बाद इनके द्वारा 5.90X5.50 तथा 9.90X8.60 वर्गमीटर के दो कमरे एवं एक आदमकद मूर्ति स्थापित की गयी है। खण्ड द्वारा मार्च 2008 में अनाधिकृत निर्माण हटाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी। श्री नन्हे लाल आदि द्वारा नियोजन समिति के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

श्री नन्हे लाल द्वारा रिट याचिका संख्या-3209/एल0ए0/2018 मा० उच्च न्यायालय में दायर की गयी जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2018 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

The limited relief pressed before us is for an appropriate direction to the Principal secretary/respondent no.1 to decide the pending representations of the petitioners dated 14-11-2017 and 26-12-2017 (Annexure 1 and 2 to the petition) relating to the adjustment of land acquired by the respondent Nos.2 and 3 within a fixed time frame.

Having considered the submissions advanced and having perused the record, we dispose of this petition with a direction to the respondent no.1 to pass appropriate orders on the pending request of the petitioners, referred to above, strictly in accordance with law within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order.

अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त के पत्र संख्या 3392/दिनांक 10.09.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि नियोजन समिति की संस्तुतियों के संदर्भ में सूच्य है कि खसरा संख्या-2613 ग्राम हैवतमऊ मवैया में श्री नौमी लाल के पक्ष में किसी प्रकार के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है। वर्ष 2008 में प्रश्नगत खसरे में श्री नौमी लाल द्वारा अवैध निर्माण कराये जाने के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-31 द्वारा नोटिस तथा ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया। इन्टरनेट पर उपलब्ध गूगल अर्थ पर विषयगत क्षेत्र के वर्ष 2003 तथा वर्ष 2008 के मानचित्रों के अध्ययन से स्पष्ट है कि श्री नौमी लाल द्वारा प्रश्नगत निर्माण वर्ष 2003 के पश्चात् किया गया है।

परिषद द्वारा स्थल पर निर्माण होने की

		रिथति में ही भूमि का समायोजन किया जाता है। श्री नन्हे लाल व श्री नौमी लाल की भूमि पर अधिग्रहण से पूर्व निर्माण न होने के कारण इनकी भूमि का समायोजन किये जाने संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है।
246 / 15	वृन्दावन योजना संख्या-2 भाग-1, लखनऊ में स्थित ग्राम-हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या-2218 की 120.00 वर्गमी० भूमि पर श्री रामखेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि की देयता में समायोजित करके भूखण्ड संख्या-4बी/70 सर्वानुमति आवंटन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त द्वारा प्रकरण का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

### अभियन्त्रण अनुभाग

246 / 16	परिषद में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य अभियन्ता के अनुमति से रु0 10.00लाख तक की निविदाओं को ई-टेंडरिंग प्रणाली से छूट दिये जाने का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि प्रत्येक ऐसे मामले में अनुमति से पूर्व कार्य की आवश्यकता एवं अपरिहारिता का उल्लेख हो।
246 / 17	पुराने वेतनमान के ग्रेड वेतन रु0 7600 व रु0 8700 के अधिकारियों को लखनऊ-गाजियाबाद की यात्रा वायुयान से करने की अनुमति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

### वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

246 / 18	औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ०ए०आर०) का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2011 एवं 2016) में प्रस्तावित संशोधन को परिषद बोर्ड में अंगीकार करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासनदेश दिनांक 08 जून, 2018 को परिषद योजनाओं हेतु अंगीकृत किया गया।
246 / 19	श्री करन महाना, निदेशक, केंद्रीय इन्फ्रास्ट्राक्चर्स, प्रा०लि० के पी०डब्ल्यू०डी० हाउसिंग सोसाइटी, केशपुरम् योजना सं०-१, कानपुर में स्थित युप हाउसिंग भूखण्ड सं० : GH/Ar-41/7B, 10, 11 को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त एक समिति गठित करेंगे, जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य वास्तुविद नियोजक सदस्य होंगे। गठित समिति प्रकरण का परीक्षण करके 15 दिन के अन्दर अपनी संस्तुति/सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
246 / 20	भवन सं०-सी० 651 इंदिरानगर लखनऊ का भू उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त एक समिति गठित करेंगे, जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य वास्तुविद नियोजक सदस्य होंगे। गठित समिति प्रकरण का परीक्षण करके एक माह के अन्दर अपनी संस्तुति/सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
246 / 21	आवासीय सम्पत्तियों में तलों की	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय

	अनुमत्यता में स्पष्टता के सम्बन्ध में।	लिया गया कि CTCP इसका विधिवत परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में रखेगें। वह परीक्षण करते समय विभिन्न प्राधिकरणों की व्यवस्था तथा मौके पर इससे होने वाली सुविधाओं और कठिनाईयों का आंकलन भी करेंगे।
246 / 22	भूखण्ड संख्या-सी-678, प्रहलादपुरी योजना, (नगेहटा रोड) हरदोई का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त एक समिति गठित करेंगे, जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य अधिकारी एवं मुख्य वास्तुविद नियोजक सदस्य होंगे। गठित समिति प्रकरण का परीक्षण करके एक माह के अन्दर अपनी संस्तुति/सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

### विधि अनुभाग

246 / 23	अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्ध करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 82 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
----------	---	---

### वित्त एवं लेखाभाग

246 / 24	सिद्धार्थ विहार, ब्रह्मपुत्र एन्कलेव के SFS के 216 नग भवन में GST के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
246 / 25	आयकर अधिनियम 1961 की धारा-10 के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा वांछित फार्म-10 दाखिल किये जाने हेतु अधिकृत करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

### सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

246 / 26	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में स्व-वित्त पोषित योजना 2013 के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र एन्कलेव में निर्मित 2016 नग भवनों के आवंटियों को परियोजना के मूल्य वृद्धि के संबंध में।	ब्रह्मपुत्र एन्कलेव के एस0एफ0एस0 योजना के अधीन आवंटित फ्लैटों के मूल्याकांन संबंधी प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि एस0एफ0एस0 फ्लैटों के निर्माण में परिषद की कास्टिंग गाइड लाइन 2006 के अनुक्रम में मूल्याकांन में भूमि दर पंजीकरण के उपरान्त प्रथम किश्त जमा करने की निर्धारित माह में प्रचलित दर ली जायेगी। इसी क्रम में निर्गत आदेश दिनांक 18.01.2006 के अनुसार लाटरी द्वारा आवंटन की तिथि को प्रचलित भूमि दर लिये जाने का प्राविधान किया गया, जिसको स्पष्ट करने एवं प्लैटों के मूल्याकांन में भूमि दरों के निर्धारण हेतु मा0 निदेशक मण्डल की 224वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रथम पात्रता की तिथि से एस0एफ0एस0 फ्लैटों में प्रभावी भूमि दर पात्रता चयन की तिथि को प्रभावी भूमि दर प्लैटों की मूल्याकांन में लिया जाये। ब्रह्मपुत्र एन्कलेव के पात्रता चयन के समय प्रचलित भूमि दर रु0 2800.00 प्रति वर्गमीटर थी। अधीक्षण
----------	--	---

		<p>अभियन्ता सप्तम वृत्त द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में फ्लैटों पर नम्बरिंग इस पर प्रचलित भूमि दर ₹ 32500.00 प्रति वर्गमीटर की दर से मूल्यांकन किया गया, जिसका अनुमोदन माझे परिषद की 244वीं धैठक में प्राप्त किया गया, जबकि अन्य एस0एफ0एस0 योजना, शिखर एन्कलेव में प्रथम पात्रता चयन की प्रचलित दर लगायी गयी है। ब्रह्मपुत्र एन्कलेव में पात्रता चयन दिनांक 22.10.2013 के उपरान्त पंजीकरण में एकमुश्त के अलावा 3 किस्तें दिनांक 31.10.14 तक जमा करा ली गयी हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र एन्कलेव का निर्माण दिनांक 22.11.14 को कार्य प्रारम्भ हुआ। अन्य एस0एफ0एस0 फ्लैटों में प्रथम पात्रता चयन को लगायी गयी है। भूमि दर एवं ब्रह्मपुत्र एन्कलेव के फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व पात्रता चयन की तिथि पर प्रभावी दरों के सापेक्ष पूर्ण भूमि मूल्य वसूल हो चुका था। अधीक्षण अभियन्ता सप्तम वृत्त के पत्रांक 3015 दिनांक 24.07.2018 द्वारा पात्रता चयन की तिथि को प्रचलित भूमि दर मूल्यांकन में लिये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।</p> <p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त ब्रह्मपुत्र एन्कलेव के एस0एफ0एस0 फ्लैटों का मूल्यांकन पात्रता चयन की तिथि पर प्रभावी भूमि दर ₹ 28000.00 प्रतिवर्गमीटर से लिये जाने के अनुमोदन के साथ ही कार्यकारी आदेश जारी किये जाने का भी निर्णय लिया गया।</p> <p>एस0एफ0एस0 योजना के अधीन आवंटित उन फ्लैटों जिनके विक्रय-विलेख निष्पादित हो चुके हैं, उन प्रकरणों में भी मूल्यांकन दर पात्रता चयन की तिथि पर प्रभावी भूमि दर लागू होगी। निष्पादित विक्रय-विलेखों में सशोधन तथा इस मूल्यांकन दर के सापेक्ष विक्रय विलेख में अधिक मूल्य के लगाये गये स्टैम्प पेपर के मूल्य की तथा व्याज की वापसी मान्य नहीं होगी।</p>
246 / 27	जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ में निर्मित फ्लैट्स के आवंटियों का दण्डव्याज/विलम्ब शुल्क शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
246 / 28	परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	<p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव पर यह मत् रित्थर हुआ कि अन्य उपकरणों/सार्वजनिक निगमों में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की क्या व्यवस्था प्राविधानित है? बीमा कम्पनियों द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा</p>

### समन्वय अनुभाग

	परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	<p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव पर यह मत् रित्थर हुआ कि अन्य उपकरणों/सार्वजनिक निगमों में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की क्या व्यवस्था प्राविधानित है? बीमा कम्पनियों द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा</p>
--	--	--

		भारत सरकार के सार्वजनिक उपकरणों में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराये जाने के संबंध में क्या व्यवस्था है। वित्त नियंत्रक द्वारा अध्ययन किये जाने के उपरान्त सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
--	--	---

### प्रशासन अनुभाग

246 / 29	सहायक अभियन्ता पद पर भर्ती के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
----------	--	---

### भूमि अर्जन अनुभाग

246 / 30	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-3 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा सं0 1544 मि0 में प्रस्तावित 30 मी0 चौड़ी सड़क पर बने अवैध निर्माण के समायोजन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त एक समिति गठित करेंगे, जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य वास्तुविद नियोजक, मुख्य अभियन्ता, संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता नोडल अधिकारी, जोनल आयुक्त एवं विशेष आमंत्री सदस्य अपर जिलाधिकारी (भू030) होंगे। गठित समिति एक माह के अन्दर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
246 / 31	वृन्दावन योजना से संबंधित किसानों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने तथा वर्ष 2002 से पूर्व के स्थित निर्माणों के समायोजन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त एक समिति गठित करेंगे, जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य वास्तुविद नियोजक, मुख्य अभियन्ता, संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता नोडल अधिकारी, जोनल आयुक्त एवं विशेष आमंत्री सदस्य अपर जिलाधिकारी (भू030) होंगे। गठित समिति एक माह के अन्दर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।

### सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

246 / 32	परिषद योजनाओं में रिक्त/उपलब्ध आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का E-Auction/E-Tender के माध्यम से निस्तारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
246 / 33	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

अनुमोदित  
 १५/१२/२०१४  
 (नितिन रमेश गोकर्ण)  
 अध्यक्ष